

क्या पक्षी १५/१५

वा ३ सं ६६/२०१८

APP-A crim-I

FORM NO. III

२०१८/००९२६

फर्द अहकाम (नियम-२६)

अज अदालत नियम
 दानाराम बनाम जैलाराम
 किस्म मुकदमा ८८ ए-१० नं ६६ सन् १८

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१५/५/१८	<p>प्रजापती येका इष्ट दोनो मजकार ३१११-११०</p> <p>वादी से यह वाद जा चला ८८ ए-१० १९५५ में यह वेम गोट कलाजा से मजदूरी जो ईस रजिस्टर क्रिम गमा। दधीगवा ने वाद मज से मोला मजदूरी के रजिस्टर नम्बर ५२ रजका १८५-०९ कोटा का १/२ हिस्सा से जैलाराम ९१० गोरेधत राम कोटे मोदी का मजदूरी का जवाबदारी एक दर्ज है यह मुक्ति हमारी मजदूरी के मजदूरी सेटलमेंट से गोरेधनराम ९१० ए-१० राम के जाम था। हमारे मजदूरी के दूक व ३१११-११० मजदूरी वादी दानाराम का १/१० हिस्सा तुल्याराम का १/१० हिस्सा कजारीपती सादवी देवी का १/१० हिस्सा मेशीदेवी का १/१० हिस्सा व जैलाराम स्वामी का १/१० हिस्सा है दधीगवा व उदिकारीगवा को कापसी सहमती से कुछ रजका १८५-०९ कोटा के १/२ हिस्से के जवाबदारी मजदूरी के एक</p> <p>(भागीरथ राम) पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प २०१८ उपस्थित अधिकारी एवं पटेल सहायक जज</p>	<p>Danaram (दानाराम)</p> <p>तुल्याराम</p> <p>जैलाराम</p> <p>मेशीदेवी</p> <p>पट्टियागवादी</p> <p>पटवारी पारलु</p>

